न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार–I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– **25 / 2020** GCMS 2020/00045

वादी :–

1. उदाराम पुत्र रूघाराम जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :–

1. देवीलाल पुत्र रूघाराम
2. दीपाराम पुत्र रूघाराम
3. सेवाराम पुत्र दुलीचन्द
4. तिलोकचन्द पुत्र दुलीचन्द
5. भोली पत्नी दुलीचन्द
6. सीता पुत्री दुलीचन्द
7. संतोष पुत्री दुलीचन्द
8. प्रेम पुत्री दुलीचन्द
9. भगवती पुत्री दुलीचन्द
10. किशनाराम पुत्र रूघाराम सभी जाति कुमावत नि. कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
11. उप पंजीयक कुचामन सिटी
12. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम 1955

उपस्थित :– वकील श्री राजेश गुर्जर वादी की ओर से

वकील श्री भीकमचन्द प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 21/11/2024

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 एक ही खानदान के सदस्य है एवं स्व. रूघाराम जी के वंशज एवं वारिसान है जिनका सजरा खानदान इस प्रकार है :–

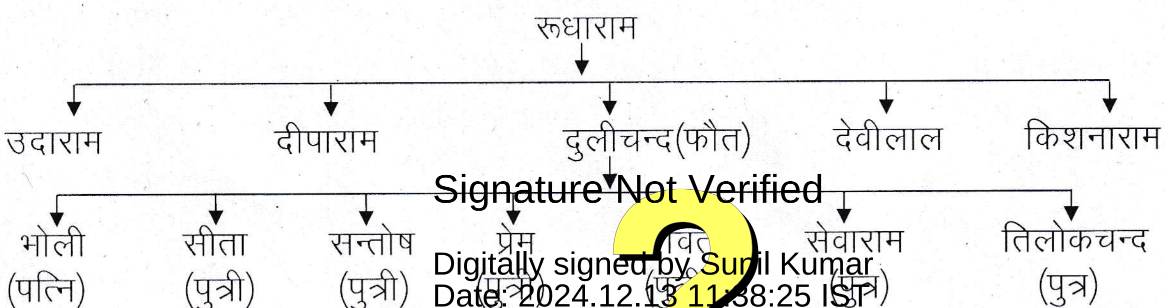

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त कृषि भूमि कुचामन [illegible] कुचामन सिटी की सरह[illegible]स्थित खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.01 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1[illegible] रकबा 3.77 हैक्टय[illegible] रकबा 3.78 हैक्टयर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि में किशनाराम पुत्र रूघाराम 1/2 हिस्सा व रूघाराम पुत्र हीराराम 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

भूमि में 1/2 हिस्सा के खातदेार कृषक रूघारामजी का स्वर्गवास दिनांक 14.02.2020 को हो गया है। उन्होंने जीवन काल में एक वसीयत पत्र भूमि बाबत दिनांक 06.06.2013 को क्रमांक संख्या 2013000009 है, जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के व प्रतिवादी संख्या 03 ता 09 के पिताजी व पति के नाम से की गई है। उपरोक्त भूमि में 1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार स्व. रूघाराम जी के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा कि एक रजिस्टर्ड वसीयत दुलाराम उर्फ दुलीचंद, उदाराम, देवीलाल, दीपराम के पक्ष में लिखी गयी है उक्त वसीयतग्रहिता दुलाराम उर्फ दुलीचंद जी का स्वर्गवास दिनांक 15.07.2017 को हो गया उनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 03 ता 09 काबिज जरिए उत्तराधिकारी चले आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा स्व. रूघाराम के स्थान पर 1/4 हिस्सा वादी को व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 ता 09 काबिज खातेदार चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि में उपर वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 दर्ज कराने के अधिकारी है। इसलिए यह खातेदारी घोषणा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा रूघाराम के स्वर्गवास हो जाने पर खातेदारी दर्ज कराने बाबत कहा तो ऐसा न्यायालय आदेश से ही किया जा बताया गया। इसलिए रेकार्ड दुरूस्ती खातेदारी घोषणा का वाद लाना लाजमी हुआ है। वादी की इस्तदुआ है कि कस्बा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 3.77 हैक्टयर कुल रकबा 3.78 हैक्टयर में से 1/2 हिस्सा स्व. रूघाराम जी के स्थान पर 1/4 हिस्सा मुझ वादी व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी काश्तकार की घोषणा की डिक्री सादिर फरवाई जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की ओर से वाद पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण 10 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 वाद पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया तथा कस्बा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 3.77 हैक्टयर कुल रकबा 3.78 हैक्टयर में से 1/2 हिस्सा स्व. रूघारामजी के स्थान पर 1/4 हिस्सा में वादी व 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 01 व 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 02 व 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी 3 ता 5 को काबिज काश्तकार घोषित किये जाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें। प्रतिवादी संख्या 06 ता 09 को उक्त अनुसार हिस्स दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है, वे पूर्ण सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी साक्ष्य में पक्षकारान ने वादी जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनॉक 06.06.2013 की मूल प्रति, रूघाराम पुत्र हीराराम एवं दुलीचन्द पुत्र रूघाराम के मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं दुलीचन्द के वारिस प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद नं. 32 न.प. कुचामनसिटी द्वारा जारी की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मौखिक साक्ष्य में वादी उदाराम, गवार भंवरलाल पुत्र खींवाराम कुमावत कुचामनसिटी का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादी ने रूघाराम के हक हिस्से की भूमिं में 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने का कथन किया है तथा प्रतिवादी वकील ने रूघाराम के हक हिस्से मे प्रतिवादी 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 से 5 को 1/4 हिस्सा घोषित किये जाने का कथन किया है तथा प्रतिवादी सं. 4 ता 9 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी 3 से 5 के नाम दर्ज किये जाने की जरिये इकबाली जवाब सहमती प्रदान की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, बयान शपथ–पत्र, इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत से रूघाराम पुत्र हीराराम कुमावत कुचामनसिटी ने अपने चार पुत्रो दुलाराम, उदाराम, देवीलाल, दीपाराम के पक्ष में उप पंजियक कुचामनसिटी के यहॉ निष्पादन की है। जिसकी मृत्यु पर वे हकदार है। इसी दौरान दुलाराम उर्फ दुलीचन्द की मृत्यु होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 3 ता 9 को वाद मे पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 ने अपने भाई एवं माता के हक में अपना हक हिस्सा जरिये ईकबाली जवाब छोड़ा गया है तथा उनका हक हिस्सा अपने भाई एवं माता के नाम दर्ज किये जाने की सहमती प्रदान की है। वादग्रस्त भूमि में प्रस्तुत इकबाली जवाब, रजिस्टर्ड वसीयत एवं गवाहो के शपथ–पत्र से साफ जाहीर है कि रूघाराम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1573, 1574 कुल रकबा 3.78 हैक्टर में स्थित हक हिस्सा 1/2 में वादी 1/4हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं. 2 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं. 3 से 5 हिस्स 1/4 प्राप्त करने के अधिकारी है, जिसकी पुष्टि उपरोक्त दस्तावेजो एवं कथनों से साबित है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वाद वादी काबिल डिक्री योग्य है। अतः वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन के खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 3.77 हैक्टर कुल रकबा 3.78 हैक्टर में स्थित रूघाराम पुत्र हीराराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा.देह खातेदार के स्थान पर वादी उदाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी देवीलाल 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी दीपाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सेवाराम तिलोकचन्द भोली 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रूघाराम पुत्र हीराराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. देह खातेदार का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर [illegible]

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार–I,(RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

इजलास : श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 25/2020 GCMS 2020/00045

वादी :–

1. उदाराम पुत्र रूघाराम जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :–

1. देवीलाल पुत्र रूघाराम
2. दीपाराम पुत्र रूघाराम
3. सेवाराम पुत्र दुलीचन्द
4. तिलोकचन्द पुत्र दुलीचन्द
5. भोली पत्नी दुलीचन्द
6. सीता पुत्री दुलीचन्द
7. संतोष पुत्री दुलीचन्द
8. प्रेम पुत्री दुलीचन्द
9. भगवती पुत्री दुलीचन्द
10. किशनाराम पुत्र रूघाराम सभी जाति कुमावत नि. कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
11. उप पंजीयक कुचामन सिटी
12. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री भीकमचन्द अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन के खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 3.77 हैक्टर कुल रकबा 3.78 हैक्टर में स्थित रूघाराम पुत्र हीराराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा.देह खातेदार के स्थान पर वादी उदाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी देवीलाल 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी दीपाराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सेवाराम तिलोकचन्द भोली 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रूघाराम पुत्र हीराराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. देह खातेदार का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21.....माह ..11.......... सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

(मुहर)

दस्तखत.......................................

ओहदा.......................................

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रुपये	पैसे	[illegible]	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			[illegible] दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible] वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फि[illegible] कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/301

दिनॉकः– 25/11/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 25/2020 **RCMS 2020/00045** उदाराम बनाम देवीलाल वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 25/2020 **RCMS 2020/00045** उदाराम बनाम देवीलाल वगैरह में पारित डिक्री की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested